



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1939 (श10)

(सं0 पटना 542) पटना, बुधवार, 28 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 जून 2017

एस०ओ० 61 दिनांक 28 जून 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम 12) की धारा-1 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल यह घोषित करते हैं कि बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-1, धारा-2, धारा-3, धारा-4, धारा-5, धारा-10, धारा-22, धारा-23, धारा-24, धारा-25, धारा-26, धारा-27, धारा-28, धारा-29, धारा-30, धारा-139, धारा-146 एवं धारा-164 के उपबंध इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगे।

(सं०सं०-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-05/2017-2169),
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

28 जून 2017

एस०ओ० 62, एस०ओ० 61 दिनांक 28 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-बिक्री-कर/जी0एस0टी0/विविध-05/2017-2169),
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 28th June 2017

S.O.61 dated 28th June 2017— In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 1 of the Bihar Goods and Service Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar is pleased to declare that the provisions of Section 1, Section 2, Section 3, Section 4, Section 5, Section 10, Section 22, Section 23, Section 24, Section 25, Section 26, Section 27, Section 28, Section 29, Section 30, Section 139, Section 146 and Section 164 of the Bihar Goods and Service Tax Act, 2017 shall come into force with effect from the date of issue of this notification.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-05/2017-2169)]

By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)542-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>